सहकारी चीनी मिल में करोड़ों का घोटाला

जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं

> **"अगर चार वर्ष का लेखा-जोखा लिया जाये तो कुल घपला 20 से 22 करोड़ तक का बनता है। मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों तक ने व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया और ज़ाहिर है पहले ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाया। हरियाणा सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जांच कर्ताओं ने स्पष्ट रूप से चीनी मिल के अधिकारियों को दोषी ठहराया है और कहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा गया है। लेकिन अभी तक चीनी मिल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यही साबित होता है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत दे कर छूट भी जाओ। यह एक ऐसा सूत्र है जो सभी महकमों में और सभी प्रकार के अधिकारियों पर लागू होता है। इसी से प्रेरित हो कर नये-नये घोटालेबाज़ पैदा हो कर एक से एक बढ़-चढ़ कर घोटाले करते हैं।"**

करनाल (जे.के./पी.के.) सहकारी चीनी मिल घोटालों का एक अड्डा बन गया है। यहां पर जो भी अधिकारी आता है, अपने-अपने तरीके से कड़ोरों रुपये बना कर चला जाता है। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले यहां लगातार जारी रहते हैं। जांच बैठती भी है, पर दोषियों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। या तो जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती या मामले को दबा दिया जाता है। दोषी अधिकारी या तो रिटायर हो जाता है या स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेता है।

सहकारी चीनी मिल में घोटालों के अनेक आयाम हैं। वर्ष 2003 में मिल में गोदाम के निर्माण कार्य का ठेका दिया गया और निर्धारित ड्राइंग भी दी गई। लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार जे.एस.कन्सट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि जो पिलर आदि बनाये जा रहे हैं वो शेड के लिए अनुपयुक्त हैं और इनके गिरने का ख़तरा है। लेकिन मिल के अधिकारियों ने इसे नहीं माना। परिणामस्वरूप शेड लगाते वक्त ही वह गिर गया और एक मज़दूर की मौत हो गई। मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए मिल के महाप्रबंधक ने मज़दूर के घर वालों को 50,000 रुपये और रेडक्रास से 30,000 रुपये दिलवा दिये। इसके अलावा महाप्रबंधक ने ठेकेदार को बदल कर अपने एक परिचित को नये रेट पर ठेका दे दिया और शेड की टूटी कैंचियां आदि बाज़ार में बेच दी। अभी भी जिस दीवार व पिलर पर शेड पड़ा है, वह कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है।

इसके अलावा मिल के निदेशक ने चीनी के वितरण में करोड़ों रुपये का गोलमाल कर दिया। चीनी मिल चीनी बेचने के लिए एजेंट बनाती है जिनको उत्पादन के हिसाब से चीनी उठानी पड़ती है। भाव भी चीनी मिल द्वारा प्रतिदिन तय किया जाता है। इसी का फ़ायदा उठा कर निदेशक महोदय ने अपने एक करीबी परिवार द्वारा स्थापित फर्मों को करोड़ों रुपये का फ़ायदा पहुंचा दिया। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पंहुचाई गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने 2007 में इसकी जांच की तथा पाया कि निदेशक पर लगाये गये आरोप सही हैं और करोड़ों रुपयों का गोलमाल हुआ है। लेकिन गोलमाल करने वाले अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।

इसके अलावा किसानों को बिना बताये उनके नाम पर भारी-भरकम कर्ज़ ले लिया गया। वर्ष 2003 में 183.25 लाख 11 प्रतिशत ब्याज पर लिये गये। 2003-04 में 388.25 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज पर लिये गये और वर्ष 2004-05 में 220 लाख रुपये 9 प्रतिशत ब्याज पर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से लिये गये। जब इसका भांडा फूटा तो इस पैसे को खाद-बीज में खर्च होना बताया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने इसकी भी जांच की और इस तरह के उधार को ग़लत बताते हुए कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोर्ड की सहमति से कानूनी ढंग से लिया गया ऋण माफ़ी योग्य नहीं हो जाता। बैंक यह पैसा किसानों से रिकवर करना चाहे तो यह ग़लत होगा। संबंधित जांच अधिकारी ने मिल प्रबंधन द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में लिखा। मुख्यमंत्री के निजी सचिव एम.एल.तायल ने कार्रवाई का आदेश अपनी जांच क्रमांक नंबर40 एएच एस ओ-सीएम 107 सहकारी चीनी मिल, करनाल के नाम दिया। मिल के प्रबंध निदेशक लाजवीर ने भ्रष्टाचार के और भी अनेक अध्याय इसमें जोड़े जो अख़बारों की सुर्खियों में छाये रहे। निदेशक की ऊंची पहुंच के कारण जांच का काम कनिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाता रहा।

इस प्रकार अगर चार वर्ष का लेखा-जोखा लिया जाये तो कुल घपला 20 से 22 करोड़ तक का बनता है। मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों तक ने व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाया और ज़ाहिर है पहले ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाया।

हरियाणा सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार जांच कर्ताओं ने स्पष्ट रूप से चीनी मिल के अधिकारियों को दोषी ठहराया है और कहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लिखा गया है। लेकिन अभी तक चीनी मिल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इससे यही साबित होता है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ तो रिश्वत दे कर छूट भी जाओ। यह एक ऐसा सूत्र है जो सभी महकमों में और सभी प्रकार के अधिकारियों पर लागू होता है। इसी से प्रेरित हो कर नये-नये घोटालेबाज़ पैदा हो कर एक से एक बढ़-चढ़ कर घोटाले करते हैं।

हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में

झगड़ा केवल लूट के बंटवारे पर

विशेष प्रतिनिधि

> **"यह कहानी केवल इन्हीं तीन राज्यों की नहीं, बल्कि केंद्र समेत सभी राज्यों की है। लगभग सभी केंद्रीय मंत्री अपनी-अपनी यथाशक्ति लूट में लगे हैं। शरद पवार अपने शक्तिशाली गिरोह के दम पर कृषि एवं खाद्य सामग्री क्षेत्र में लूट मचा रहे हैं तो करुणानिधि के एक दामाद (एवं केंद्रीय मंत्री) ने एक ही झटके में 60000 करोड़ का टेलिफ़ोन स्पैक्ट्रम झटका कर दिया तो उनका अनपढ़, गंवार बेटा जिसे न अंग्रेज़ी आती है, न हिंदी, केंद्र में रसायन व उर्वरक मंत्री बना बैठा है। किसलिए?"**

22 अक्टूबर को घोषित हरियाणा विधान सभा के चुनाव परिणामों के आधार पर राज्य की जनता को पांच वर्ष तक लूटने का पट्टा कांग्रेसियों के नाम लिखा गया। वह बात अलग है कि कच्ची स्याही से लिखे इस पट्टे को मिटा कर चौटाला पार्टी अपने हक में लिखने को प्रयासरत है, पांच साल तक अगले चुनाव की प्रतीक्षा करना तो काफ़ी कठिन है, वैसे भी जिंदा कौमें पांच-पांच साल तक इंतज़ार नहीं किया करतीं। मर-पड़ कर जीती कांग्रेस में पहले तो जूता इसी बात पर बजा कि गिरोह की सरदारी किस को मिले, क्योंकि लूट का माल सबसे अधिक सरदार के हिस्से में आता है। खैर, जैसे -तैसे बीच-बचाव करा कर यह मसला तो हल हो गया। उसके बाद अगला सवाल हुआ लूट के माल के हड़पने के लिए बाकी 14 पद किस-किस को मिलें। इस सवाल को हल करने में सात नवंबर तक 16 दिन तो लगे जिसमें कि बमुश्किल 9 पदों का ही फ़ैसला हो पाया। लेकिन इसमें अभी विभागों को लेकर झगड़े चलेंगे। हर कोई चाहेगा कि उसे अधिक लूट वाला विभाग मिले। जिसे राजस्व विभाग मिलेगा, वह तहसीलदारों से मंथली बांधेगा तो श्रम विभाग वाला श्रम एवं समझौता अधिकारियों को दूहेगा। गृह मंत्रालय ज़िले व थाने नीलाम करेगा तो आबकारी एवं कराधान विभाग वाला टैक्सचोरों व चोरी कराने वाले अफ़सरों को पालेगा। ये पालतू अफ़सर फ़िर जनता को नोचेंगे। इस तरह हर विभाग अपने आप में लूट के एक केंद्र की तरह काम करता है। किसी विभाग का महत्त्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें माल कितना है। यूं हर विभाग में माल ही माल है, परंतु जानकारों का मानना है कि सबसे अधिक माल-मलाई शहरी विकास मंत्रालय में है, इसलिये यह महकमा प्राय: मुख्यमंत्री ही अपने पास रखते रहे हैं। वैसे परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति तथा लोक निर्माण विभाग भी कुछ कम नहीं है। वन विभाग के साथ पर्यावरण जुड़ जाने के कारण तो इसमें भी वारे-न्यारे हैं। परंतु यहां मंत्री का पर कतरने के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण बोर्ड का गठन कर के उसका एक चेयरमैन अलग से बना देता है जो अक्सर आपस में ही लड़ते-गुथते रहते हैं। महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है। वहां तो मुख्यमंत्री पद पर ही 16 दिन झगड़ा चलता रहा। फ़िर शुरू हुआ कि किस गिरोह के कितने मंत्री बनें और उन्हें कौन-कौन से विभाग मिलें? शपथग्रहण समारोह के लिये लाखों रुपये रोज़ाना के भाड़े पर पंडाल बना खड़ा सफ़ेदपोश लुटेरों के आने का इंतज़ार करता रहा। उधर विपक्षी भाजपा-शिवसेना को भी चुस्की लेने का अच्छा-खासा मौका मिल गया। उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। 17 दिन की बेशर्मी के बाद जब थोड़ी शर्म आई तो ले झटपट मुख्यमंत्री व अन्य सभी पदों का फ़ैसला कर शपथग्रहण का पाखंड संपन्न हुआ। कांग्रेसियों पर घोर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाने वाली भाजपा, जिसने राष्ट्रप्रेम व हिंदू धर्म का पूरा ठेका अपने ही नाम उठा रखा है, जो अपने आप को सबसे बेहतरीन पार्टी बताते हैं, उनका जनाजा भी कर्नाटक वालों ने खूब निकाला है। जैसे फरीदाबाद के दो खान माफ़िया भाई राजनीति में सक्रिय हैं, वैसे ही दो खान माफ़िया रेड्डी भाइयों ने अपनी ही सरकार की नाक में दम कर रखा है। दोनों भाइयों ने स्वयं मंत्री होते हुए अपनी पार्टी की सरकार के विरुद्ध केवल इसलिए बगावत का झंडा बुलंद कर दिया कि उन्हें उनकी बेल्लारी खानों में बेरोक-टोक पूरी तरह से निरंकुश हो कर गुंडागर्दी करने दी जाये। उनके ऊपर किसी नियम-कानून को लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, इन दोनों भाइयों के पेट इतने बड़े हैं कि लूट के सामान्य हिस्से से नहीं भर पाते। इन्हें भरने के लिए बेल्लारी खानों से लूट का असामान्य हिस्सा चाहिए, जिसमें वे किसी का भी किसी प्रकार का दखल पसंद नहीं करते।

यह कहानी केवल इन्हीं तीन राज्यों की नहीं, बल्कि केंद्र समेत सभी राज्यों की है। लगभग सभी केंद्रीय मंत्री अपनी-अपनी यथाशक्ति लूट में लगे हैं। शरद पवार अपने शक्तिशाली गिरोह के दम पर कृषि एवं खाद्य सामग्री क्षेत्र में लूट मचा रहे हैं तो करुणानिधि के एक दामाद (एवं केंद्रीय मंत्री) ने एक ही झटके में 60000 करोड़ का टेलिफ़ोन स्पैक्ट्रम झटका कर दिया तो उनका अनपढ़, गंवार बेटा जिसे न अंग्रेज़ी आती है, न हिंदी, केंद्र में रसायन व उर्वरक मंत्री बना बैठा है। किसलिए? केवल लूट के लिए। इन्हें कोई छेड़े भी तो कैसे छेड़े? छेड़ते ही तो सरकार डांवाडोल होती है। ये सब लुटेरे लोग़ लूटें भी क्यों नहीं? जब करोड़ों-अरबों लगा कर सत्ता प्राप्त करते हैं तो लूटेंगे क्यों नहीं? सत्ता प्राप्ति के इस घिनौने व्यापार में लिप्त इन राजनीतिक व्यापारियों का एक सूत्री कार्यक्रम येन-केन-प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना है और सत्ता प्राप्त कर के देश के संसाधनों को लूटना मात्र है। और जब तक जनता जनार्दन इस कड़वी हकीकत को समझ कर इनके खिलाफ़ एकजुट हो कर बगावत नहीं करेगी, लूट का यह पहिया निरन्तर घूमता रहेगा और जनता इसमें पिसती रहेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06